

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 75/2016 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

### समेलन बनाम मूला वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील :- श्री पवन धारीवाल

विप्रार्थीगण वकील :-

### निर्णय

दिनांक - 21.05.2018


पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प शोभाला जेतमाल में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा लिडियाला, पटवार क्षेत्र शोभाला जेतमाल, तहसील चौहटन में खसरा सं. 313/125 रकबा 60.00 बीघा स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा लिडियाला, पटवार क्षेत्र शोभाला जेतमाल, तहसील चौहटन में खसरा सं. 313/125 रकबा 60.00 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

कमीशनर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरो की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प शोभाला जेतमाल में सुनाया गया।

  
(भूपेन्द्र कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1075  
प्रार्थी :-

1.समेला पुत्र वरजांगा, जाति मेघवाल  
निवासी देदूसर, तहसील चौहटन

दिनांक 21.05.18

विप्रार्थीगण:-

1.मूला पुत्र अचला 2.गंगा पुत्र काना जाति सुथार  
3.साबू पुत्र भूगड़ा जाति भील, 4.रायधन पुत्र चीमा  
जाति मेघवाल 5.इमरती पत्नि रणछाराम जाति  
जाट, निवासी नवातला जेतमाल, तहसील चौहटन  
6.प्रवीण 7.महिपाल 8.ललित पि.इंदाराम जाति  
जटिया, निवासी बाडमेर  
9.तहसीलदार चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 75/16

दिनांक : 21.05.2018

### आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन के पटवार क्षेत्र शोभाला जेतमाल के मौजा लिडियाला, के खेत खसरा सं. 313/125 रकबा 60.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

कमिशनर फीश प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1076-79  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी समेला
3. विप्रार्थीगण मूला वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेइवा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार यादव )

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक

21.05.18

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड चौहटन  
चौहटन